☏/Fax- + 05966–220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

पत्रांकः 462/10सी दिनांकः 05/04/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषय :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 'ए' के रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चौकोड़ी– काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा मोटर मार्ग के टू–लेन चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक 3462/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 15.03.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जिसके क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 'ए' (रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चौकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा मोटर मार्ग) के टू–लेन में चौड़ीकरण के दौरान पैकेज–4 जो किमी0 136 (बिलौनासेरा) से प्रारम्भ होकर किमी0 170 (कनगाड़छीना) पर समाप्त होता है, में प्रभावित होने वाले वनभूमि के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित आरक्षित वनक्षेत्र उत्तरी बिन्सर म0 नं0 34 बागेश्वर वन प्रभाग का अंश न होकर सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा के बिन्सर रेंज के सालरी बिट के अन्तर्गत पड़ता है। अतः आपके द्वारा वन भूमि प्रस्ताव को संशोधित कर पुनः प्रेषित किये जाने हेतु सूचित कराया गया। इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ही पैकेजों के अनुसार पैकेज–4 को प्रस्ताव संख्या 151113/2022 को दिनांक 13.01.2022 को ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है तथा उक्त पैकेज को दिनांक 31.03.2022 को स्वीकृत भी किया जा चुका है एवं निर्माण कार्य वनभूमि हस्तान्तरित/भूमि अध्याप्त होने के उपरान्त ही प्रारम्भ कराया जा सकता है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रति सप्ताह इस कार्य की समीक्षा की जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि गठित वनभूमि प्रस्ताव का जो प्रभाग आपके क्षेत्रान्तर्गत आता है उसको आपके द्वारा तथा जो प्रभाग अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत आता है, उसे प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा सत्यापित किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाने की कृपा करें, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही शीघ्र ही समयान्तर्गत की जा सके।

05/04/22
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– Royal Haskoning DHV CONSULTING PVT. LTD. को इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से उक्त कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपिः– सहायक अभियंता (तृतीय) रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

F:\NH\Dispatch Letter\EE Letter head.docx 172

☏ /Fax- + 05966–220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

पत्रांक: / दिनांक: / /2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषय :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 'ए' के रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चौकोड़ी– काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा मोटर मार्ग के टू–लेन चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक 3462/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 15.03.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जिसके क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 'ए' (रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चौकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा मोटर मार्ग) के टू–लेन में चौड़ीकरण के दौरान पैकेज–4 जो किमी0 136 (बिलौनासेरा) से प्रारम्भ होकर किमी0 170 (कनगाड़छीना) पर समाप्त होता है, में प्रभावित होने वाले वनभूमि के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित आरक्षित वनक्षेत्र उत्तरी बिन्सर म0 नं0 34 बागेश्वर वन प्रभाग का अंश न होकर सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा के विन्सर रेंज के सालरी बिट के अन्तर्गत पड़ता है। अतः आपके द्वारा वन भूमि प्रस्ताव को संशोधित कर पुनः प्रेषित किये जाने हेतु सूचित कराया गया। इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ही पैकेजों के अनुसार पैकेज–4 को प्रस्ताव संख्या 151113/2022 को दिनांक 13.01.2022 को ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है तथा उक्त पैकेज को दिनांक 31.03.2022 को स्वीकृत भी किया जा चुका है एवं निर्माण कार्य वनभूमि हस्तान्तरित/भूमि अध्याप्त होने के उपरान्त ही प्रारम्भ कराया जा सकता है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रति सप्ताह इस कार्य की समीक्षा की जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि गठित वनभूमि प्रस्ताव का जो प्रभाग आपके क्षेत्रान्तर्गत आता है उसको आपके द्वारा तथा जो प्रभाग अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत आता है, उसे प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा सत्यापित किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाने की कृपा करें, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही शीघ्र ही समयान्तर्गत की जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांक : 462/10 सी दि0 05/04/22

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– Royal Haskoning DHV CONSULTING PVT. LTD. को इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से उक्त कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपिः– सहायक अभियंता (तृतीय) रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/04/22
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

F:\NH\Dispatch Letter\EE Letter head.docx 172